शिकायत निवारण समिति

1. पालिसी डाक्यूमेंट (Policy Document)

- छात्र शिकायत निवारण समिति की यह नीति होगी कि महाविद्यालय में ऐसा वातावरण तैयार किया जाए कि किसी भी विद्यार्थी को शिकायत करने की स्थिति निर्मित नहीं हो।
- विद्यार्थी महाविद्यालय की शिक्षण व्यवस्था, कार्यालयीन प्रशासनिक व्यवस्था, क्रीड़ा सांस्कृतिक, साहित्यिक एनसीसी एवं एनएसएस की गतिविधियों, विद्यार्थी कल्याण योजनाओं के लाभों, पुस्तकालय सविधाओं, परिसर के पर्यावरण, पेयजल व्यवस्था व प्रसाधन सुविधाओं से इस स्तर तक संतुष्ट रहें कि उन्हे शिकायत करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हो सके।
- प्रवेश कार्य, शुल्क जमा करने की सुविधाजनक व्यवस्था, परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की सुविधाजनक व्यवस्था, अंकसूचियां वितरण व्यवस्था, महाविद्यालय सूचना पटल पर तथा महाविद्यालय की वेबसाइट पर चस्पा/प्रदर्शित की वाली समस्त सूचनाएं आदि की सुलभता के चलते विद्यार्थी संतुष्टि के चरम स्तर पर रहें।
- परिसर के बाहर समाज एवं शिक्षा जगत में महाविद्यालय की उत्तम व्यवस्था की जानकारी का प्रचार–प्रसार भी विद्यार्थी करते रहें, समिति इसको सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होगी।
- महाविद्यालय परिवार के प्राध्यापकों, विद्वानों, तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों आदि की विद्यार्थियों से सहयोगात्मक, मित्रवत, पालक रूप से तथा मार्गदर्शक की यथा स्थिति भूमिका निभाने की मनः स्थिति में लाना एवं बनाए रखना भी समिति की प्रमुख नीति होगी।
- वरिष्ठ विद्यार्थियों व नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों की बीच भी आपसी सम्बन्ध महाविद्यालय परिवारात्मक रहें। इसका वातावरण बनाना तथा विवाद एवं नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न नहीं हो इसकी निगराली करना भी नीति का एक महत्वपूर्ण भाग होगा।

- महाविद्यालय के प्रमुख स्थानों पर शिकायत पेटी लगवाना तथा पहचान उजागर किये बिना शिकायत करने की सुविधा का प्रचार–प्रसार करना।

- नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न नहीं हो इसकी निगराली करना भी नीति का एक भाग होगा।
- महाविद्यालय के प्रमुख स्थानों पर शिकायत पेटी लगवाना तथा पहचान उजागर किये बिना शिकायत करने की सूविधा का प्रचार–प्रसार करना।

2. समिति का उद्देश्य (Objectives)

- समिति का उद्देश्य होगा कि महाविद्यालय के विद्यार्थियों को समय पर व आवश्यकतानुसार समस्त प्रकार की आवश्यक जानकारियों सुलभता से प्राप्त हों।
- शैक्षणिक सम्बन्धित सुविधाएं यथा पुस्तकालय, वाचनालय, इंटरनेट पर पुस्तकें पढ़ने की सुविधा उपलब्ध रहें।
- अंकसूची महाविद्यालय त्यागने का प्रमाण–पत्र, निर्धारित समय पर प्राप्त हों, तथा विश्वविद्यालय सम्बन्धित जरूरतें यथा नामांकन करना, परीक्षा आवेदन पत्र प्रस्तुत करना, आदि कार्यों में सरलता हो।
- शैक्षणिक स्तर गतिविधियों यथा एनसीसी, एनएसएस, क्रीड़ा, साहित्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना ताकि वे अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकें।
- नवीन विद्यार्थी बिना भय के अपनी बात रख सकें इसका विश्वास उनके मन में पैदा करना।
- समिति अपने उद्देश्यों में सफलता के लिए सदैव प्रयासरत रहेगी तथा औचक निरीक्षण के माध्यम से सूचनाएँ एकत्र करेगी तथा विद्यार्थियों में दैव निदर्शन विधि से प्रतिपुष्टि भी प्राप्त करेगी।

3. एक्शन प्लान (Action Plan)

- प्रमुख स्थानों पर शिकायत पेटी लगवाना। बिना नाम लिखे शिकायत/सुझाव प्रदान करने की नीति का प्रचार–प्रसार करना।

- महाविद्यालयों में प्रवेश कार्य प्रारंभ होने पर मार्गदर्शन हेतु सूचनाएं लगाना।
- नवीन विद्यार्थियों की सहायता के लिए सहायता केन्द्र (हेल्प डेस्क) स्थापित करना।